निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख 1937 (श0)

(सं0 पटना 547) पटना, वृहस्पतिवार, 7 मई 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

विद्यापति मार्ग, पटना–800001

अधिसूचना

10 मार्च 2015

सं0 1695—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ग्राम–मधुबन पुरानी बाजार स्थित श्री राम जानकी मंदिर एवं धर्मशाला पर्षद में निबंधित एक सर्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–4283 है। इस न्यास के सुप्रबंधन एवं संचालन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–3391 दिनांक 08.12.2003 द्वारा एक न्यास समिति का गठन किया गया था। उक्त न्यास समिति द्वारा न्यास हित में कोई कार्य नहीं किया गया। न्यास समिति द्वारा आय–व्यय का व्यौरा, बजट, पर्षद शुल्क एवं बैठकों का कार्यवृत कभी भी पर्षद में नहीं दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल ने अपने पत्रांक–1488 दिनांक 02.07.13 में भी न्यास समिति को निष्क्रिय बताया है। उनके द्वारा नई न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह सदस्यों का चयन कर नाम भी भेजा गया है। इस आलोक में पर्षदीय पत्रांक–750 दिनांक 20.07.13 द्वारा समिति को अधिनियम की धारा–29 (2) के तहत कारण पृछा की नोटिस दी गई। कारण पृछा का जवाब केवल श्री महेश प्रसाद सिन्हा द्वारा दिया गया जिसमें उन्होंने कोई संतोषप्रद उत्तर न देकर नई न्यास समिति गठित करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात् पर्षदीय पत्रांक–1967 दिनांक 21.01.14 द्वारा अधिनियम की धारा–29 (2) के तहत पुनः कारण पृच्छा की नोटिस निर्गत की गई, परन्तु न्यास समिति के किसी भी सदस्य द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यास समिति पूर्णतः निष्क्रिय है। समिति न्यास के सुप्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा आदि कार्यो से पूर्णतः विफल रही है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा–29 (2) के तहत उक्त न्यास समिति को विघटित किया जाता है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल के पत्रांक–1488 दिनांक 02.07.13 द्वारा नई न्यास समिति गठन हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अधिनियम की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ग्राम–मधुबन पुरानी बाजार स्थित श्री राम जानकी मंदिर एवं धर्मशाला की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री राम जानकी मंदिर एवं धर्मशाला, मधुबन पुरानी बाजार न्यास योजना होगा''** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम

''श्री राम जानकी मंदिर एवं धर्मशाला, मधुबन पुरानी बाजार न्यास समिति होगी'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ, साधु–सेवा एवं धर्मशाला की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

(1)	अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण	– अध्यक्ष
(2)	श्री अजय कुमार केडिया पे0 स्व0 किशुन प्रसाद केडिया	– उपाध्यक्ष
(3)	श्री राजेश कुमार सलेमपुरिया पे0 स्व0 विश्वनाथ प्रसाद सलेमपुरिया	– सचिव
(4)	श्री योगेन्द्र प्रसाद गुप्ता पे0 श्री रामप्रसाद साह	– उपसचिव
(5)	श्री पवन कुमार डालमिलयाँ पे0 स्व0 जगदीश प्र0 डालमियाँ	– कोषाध्यक्ष
(6)	श्री महेश प्रसाद ''मुखिया'' पे0 श्री आनन्दी प्रसाद	– सदस्य
(7)	श्री प्रमोद कुमार पोद्धार पे0 स्व0 बनवारी लाल पोद्धार	– सदस्य
(8)	श्री रामजन्म प्रसाद पे0 स्व0 शंकर साह	– सदस्य
(9)	श्री राकेश कुमार पाण्डेय पे0 श्री राधाकान्त पाण्डेय	– सदस्य
(11)	श्री सुरेश प्रसाद पे0 स्व0 विश्वनाथ प्रसाद	– सदस्य
(12)	श्री प्रकाश कुमार लोहिया पे0 स्व0 चिमनलाल लोहिया	– सदस्य

उपरोक्त सभी का पताः–ग्राम–मधुबन, पो0–गुलवारा मधुबन, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन–845420

इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 15.03.2015 से पॉच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यो की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 547-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in